

रजि०

प्रेषक

राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-उप-निदेशक पंचायत-आ,
कार्यालय निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

श्री धीरज कथूरिया पुत्र श्री रमेश कुमार,
मकान नं 66/20 बँक कालोनी, हासी जिला हिसार।

क्रमांक एए4-2015/

दिनांक

विषय:- आर०टी०आई० एक्ट 2005 के तहत सूचना देने बारे।

उपरोक्त विषय बारे आपके पत्र दिनांक 22.04.2015 के संदर्भ में आर०टी०आई० एक्ट 2005 के तहत बिन्दु नं० 1, 2, 3 व 7 बारे सूचना प्रशासन-आ से सम्बंधित है जोकि निम्न प्रकार से है:-

मांगी गई सूचना का विवरण	विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचना का विवरण
1. आपके विभाग के कितने कर्मचारी चीफ सैक्रेटरी के मैमो नं 6-7-2014-1- एफ०एस० 1 दिनांक 20.06.2014 के तहत सबसीक्येंट क्लेरिफिकेशन 28.07.2014 के तहत कितने डाटा एन्ट्री अप्रेटर को पक्का किया गया उसकी लिस्ट की एक सत्यापित कापी दी जायें।	चीफ सैक्रेटरी के मैमो नं 6-7-2014-1- एफ०एस० 1 दिनांक 20.06.2014 के तहत सबसीक्येंट क्लेरिफिकेशन 28.07.2014 के तहत जिन डाटा एन्ट्री अप्रेटरों को मुख्यालय पर पक्का किया गया उनके नाम की सूची साथ सलंगन है।
2. विभाग द्वारा केवल हैड क्वार्टर चण्डीगढ़ में कार्यरत कर्मचारी को ही पक्का किया गया। क्या सिर्फ वही कर्मचारी इस पालिसी में आते थे और शेष नहीं। कारण बताये जावे तथा कारण की एक सत्यापित प्रति दी जावे।	प्रशासन-आ शाखा द्वारा मुख्यालय पर कार्यरत उन कर्मचारियों को ही पक्का किया गया जो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की पालिसी में कवर होते थे। जबकि क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों का नियमित सम्बंधित मामला प्रशासन-आ शाखा का है।
3. विभाग द्वारा कितने डाटा एन्ट्री अप्रेटर को पक्का करने की फाईल बनाई गई थी। जिनको पक्का किया जाना था उनका नाम व पता बताया जावे।	मुख्यालय पर 5 डाटा एन्ट्री अप्रेटर को पक्का करने की फाईल बनाई गई थी, उनके नाम व पते की सूची साथ सलंगन है।
4. विभाग द्वारा बाकी बचे हुए डाटा एन्ट्री अप्रेटर को पक्का करने के बारे में क्या कार्यवाही आपके विभाग द्वारा की गई है। उसकी सत्यापित कापी डिस्पैच नं० सहित भेजी जावे।	प्रशासन-आ शाखा से सम्बंधित है तथा उन द्वारा सूचना अलग से दी जा चुकी है।
5. बचे हुए डाटा एन्ट्री अप्रेटर जोकि अभी पक्के नहीं हुए उनकी फाईल अप्रुवल के लिए किस विभाग में भेजी गई है तथा किसके पास भेजी गई है और वहां से क्या जवाब प्राप्त हुआ सभी की जानकारी दी जावे।	प्रशासन-आ शाखा से सम्बंधित है तथा उन द्वारा सूचना अलग से दी जा चुकी है।
6. डाटा एन्ट्री अप्रेटर की फाईल आज दिनांक 22.04.2015 को किस कार्यालय में लम्बित है तथा कितने समय से लम्बित हैं, लम्बित होने का कारण बताया जावे।	प्रशासन-आ शाखा से सम्बंधित है तथा उन द्वारा सूचना अलग से दी जा चुकी है।

7. आपके विभाग की प्रथम अपीलेट अथोरिटी के साथ-साथ राज्य जन सूचना आयोग का नाम व पता बताया जावे।	विभाग में प्रथम अपीलेट अथोरिटी श्री आर0 के0 मेहता हैं और उनका कार्यालय हरियाणा पंचायत भवन पलाट नं0 3 सैक्टर 28 ए. चण्डीगढ़ में है। जबकि राज्य जन सूचना आयोग हरियाणा का पता एस0सी0ओ0 70-71, सैक्टर 8-सी चण्डीगढ़ है।
---	---

सलंगन- उक्त।

राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-उप-निदेशक पंचायत-II,
कार्यालय निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक-एए4-2015/ 74545

दिनांक 11-12-15

इसकी एक प्रति क्रमांक सहायक/आर0टी0आई0-2015/47050-51 दिनांक 12.08.2015 के सदरमें में सूचनार्थ प्रेषित है।

[Handwritten signature]
11/12/15

SA

[Handwritten signature]
11/12/15

JA

राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-उप-निदेशक पंचायत-II,
कार्यालय निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़। *[Handwritten signature]*

मुख्यालय पर नियमित किये गये डाटा एंटरी आपरेटरों के नाम व पते की सूची:-

डाटा एंटरी आपरेटर का नाम	घर का पता
1. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रिखी राम	मकान नं0 155, नयू कालोनी II, खुडा लाहौरा, चण्डीगढ़।
2. श्रीमति कवलजीत कौर पत्नी श्री कर्ण शर्मा	मकान नं0 2302, सैक्टर 27-सी, चण्डीगढ़।
3. श्री नीरज खत्री पुत्र श्री कैलाश चन्द	मकान नं0 230, टाईप-II, सी0आर0पी0एफ0 कैम्पस, हल्लोमाजरा, चण्डीगढ़।
4. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री विश्वामित्र	मकान नं0 2503, सैक्टर 28-सी, चण्डीगढ़।
5. शोभा भारती पुत्री श्री गोबिन्द राम	मकान नं0 381, गोबिन्द नगर, नया गांव पंजाब।